# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—28/2017/223 (2017/00028)

1. श्रीमती सन्तोक बैवा रामदेव, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. रामचन्द्र पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. लक्ष्मण पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. रतन पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. बालू पत्रु रामदेव, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्रीमती छोटी बैवा मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. घीसालाल पुत्र मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. गोकली पुत्री मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. मसूर पुत्री मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. काली पुत्री मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
6. सोभाग पुत्री मोडू, जाति बलाई, निवासी समेलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।
8. पटवारी, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 17.1.2017 अंतर्गत वाद संख्या 3/2014.**

उपस्थितः—

1. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 3 लगायत 6 अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 92–ए, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम समेलिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर में खाता संख्या 132–108 के पुराना खसरा नंबर 315/1 नया 513 रकबा 8–2–00, खसरा संख्या पुराना 346 नया 562 रकबा 28–5–00, खसरा संख्या पुराना 347 नया 563 रकबा 00–14–00 गै0म0चाह स्थित है । उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही है । उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में मोडू पुत्र कामड़ मुतबन्ना छोगा बलाई के नाम खातेदारी में चली आ रही है । मोडू जिसकी हाल करीब 20–25 दिन पूर्व मुत्यु हुई है, जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है । मोडू कभी भी छोगा पुत्र काना के गोद नहीं गया । उपरोक्त आराजी जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में छोगा पुत्र काना का 1/2 हिस्सा व मोडू पुत्र कामड़ का 1/2 हिस्सा दर्ज है । छोगा ने अपने जीवनकाल में वादी संख्या 2 से 5 की दादी श्रीमती चनणी से नाता विवाह किया था । उस समय वादीगण के पिता रामदेव पुत्र लाला चनणी के साथ आया था, यानि वादीगण का पिता रामदेव छोगा का गैलड पुत्र था । छोगा के कोई जायंदा संतान नहीं थी । छोगा की सेवा बन्दगी वादीगण के पिता रामदेव ने ही की थी जिस पर छोगा ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मौजूदगी में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पति व पिता मोडू की मौजूदगी में अपनी भूमि में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता व पति को दे दी थी । शेष 6.15 बीघा भूमि उसने अपने खर्चे के लिए रखी एवं उस भूमि बाबत् दिनांक 22.4.1981 को यह लिखावट हुई कि छोगा के रामसरण होने के पश्चात् रामदेव व मोडू आधी–आधी बांट लेवें, जिस पर मोडू की अंगूठा निशानी है तथा जाति बिरादरी का खर्चा दोनों आधा–आधा वहन करेगें । वादी संख्या 1 रामदेव की पत्नी है तथा वादी संख्या 2 से 5 पुत्र है । छोगा की मृत्यु के पश्चात् मोडू ने 6.15 बीघा भूमि में से वादीगण के पिता को विक्रय कर दिया जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज हो चुकी है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 315/4 है, जो विवादित नहीं है । इसके पश्चात् शेष बची छोगा पुत्र काना की भूमि का हकदार वादीगण के पिता व पति रामदेव पुत्र लालू ही है एवं उनके ही कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं वे ही खातेदार काश्तकार हो चुके है एवं घोषित होने के हकदार है । वादीगण के पति व पिता रामदेव अशिक्षित थे एवं वर्तमान वादीगण भी अशिक्षित है । प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति व पिता ग्राम पंचायत में वार्ड मेम्बर होने से उसने वादीगण के पति व पिता की इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए तत्कालीन सरपंच व राजस्व अधिकारियों से अनुचित सांठ–गांठ कर छल–कपट व धोखा करते हुए स्व0 छोगा की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति व पिता मोडू को छोगा का वारिस बताकर राजस्व अभिलेख में बिना किसी आधार के अपने नाम दर्ज करा ली, जिसकी जानकारी दिनांक 26.12.2013 को वादीगण को हुई । वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो उन्होंने धमकाया कि जमीन हमारे पिता के नाम दर्ज हो रखी है एवं उनकी मृत्यु हो जाने से जमीन अब हमारे नाम दर्ज कराकर दीगर को विक्रय, हस्तातंरित करेगें तथा तुम्हे बेदखल करेगें । इस कारण यह वाद पेश करने की आवश्यकता हुई । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता व पति मोडू का नाम विलोपित किया जावे तथा 1/2 हिस्से का खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार बहैसियत खातेदारी से दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2017 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय विवाद बिन्दुओं के संबंध में निष्कर्ष देते हुए किसी भी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है । केवल मात्र कल्पना व अनुमान के आधार पर निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 को निर्णित करते समय यह माना है कि मोडू पुत्र कामड़ छोगा का वारिस नहीं है तथा केवल पगड़ी बांधे जाने के कारण उसके पक्ष में जो नामांतकरण संख्या 71 प्रदर्श–11 खोला गया है वह विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि पगड़ी के आधार पर कोई हक सृजित नहीं होते है । ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर वादी का वाद अधी0न्याया0 ने विवादित न्दिु संख्या 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में मानते हुए खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने विवाद बिन्दु संख्या 1 का विवेचन करते हुए प्रदर्श ईएक्स 12 की गलत व्याख्या की है । केवल मात्र वसीयत शब्द अंकित नहीं होने के आधार पर लिखतम प्रदर्श ईएक्स 12 को विश्वसनीय नहीं माना है जबकि अभिलेख पर यह तथ्य प्रकट है कि उस लिखतम के आधार पर खसरा नंबर 315/4 पर वादीगण के स्व0 पिता रामदेव के नाम दर्ज हुए एवं उस लिखतम के आधार पर ही वादीगण रामदेव के वारिस होने से छोगा के 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी थे । जब अभिलेख पर यह तथ्य है कि छोगा की पत्नी चनणी व उसका पुत्र रामदेव था तो ऐसी स्थिति में छोगा की मृत्यु के पश्चात् रामदेव का उसी खातेदारी में अधिकार बनता है और इसलिये वादीगण वादगग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 का निर्णय स्थापित विधि के प्रतिकूल किया है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य साबित है कि मोडू पुत्र कामड़ का छोगा की आराजी में कोई अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में मोडू के नाम जो इंद्राज किये गये है वे अवैध है तो ऐसे इंद्राजों के आधार पर विवाद बिन्दु संख्या 4 में राजस्व रिकार्ड की धारणा के आधार पर प्रतिवादीगण को जो कब्जा माना गया है वह पूर्णतः गलत है। अवैध प्रविष्ठियों के आधार पर कब्जे की उपधारण किया जाना विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने विवादित बिन्दु संख्या 6 के निर्णय में भी बिन्दु संख्या 4 के समान ही निष्कर्ष दिया है । जब अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह माना है कि मोडू पुत्र कामड के नाम राजस्व रिकार्ड में अवैध इंद्राज किया गया है तो ऐसी स्थिति में अवैध इंद्राज के आधार पर खातेदार व कब्जा मानकर वादी का अनुतोष अस्वीकार करने का निर्णय निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष जो वाद पेश किया गया था उस वाद में अनुतोष के पैरा में यह अंकित किया गया है कि अन्य अनुतोष जो मान0 न्यायालय उचित समझे वह दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में धारा 29 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 का उल्लेख करते हुए अनुतोष नहीं दिये जाने का निष्कर्ष दिया है । अधी0न्याया0 के निर्णय को समग्र रूप से देखा जाता है तो उनके द्वारा रामदेव व मोडू पुत्र कामड को छोगा का वारिसान होना नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में मोडू पुत्र कामड का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना त्रुटिपूर्ण हो जाता है । विवाद बिन्दु संख्या 3 व 6 अनुतोष से संबंधित है । अधी0न्याया0 के निष्कर्ष के अनुसार छोगा के कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वारिसान नहीं माने जाने की स्थिति में उचित अनुतोष न्यायालय द्वारा दिये जाने की अधिकारिता थी । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, छोगा की पत्नी चनणी व उसका पुत्र रामदेव होने के कारण, वादीगण रामदेव के वारिस होने के कारण, मोडू पुत्र कामड छोगा का वारिस नहीं होने के कारण तथा प्रदर्श ईएक्स 12 के प्रभावी होने के कारण वादीगण छोगा की वाद वर्णित आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । इसलिये आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विधिविरूद्ध वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 377, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1109, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 785, आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (3) राज0 पेज 1891, ए0आई0आर0 1974 पेज 471, आर0एल0डब्ल्यू0 2008 (3) पेज 2087, सीसीसी 2015 (2) पेज 643, सी0जे0 रेन्ट कन्ट्रोल 2004 पेज 59, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1074, ए0आई0आर0 1953 सुप्रीम कोर्ट पेज 235, आर0एल0डब्ल्यू0 2004 (3) पेज 1752, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 745, आर0आर0टी0 2011–12 पेज 680 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 के एकमात्र कब्जे स्वामित्व में चली आ रही है जिससे अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । मोडू का देहांत दिनांक 15.12.2013 को बमुकाम समेलिया में हुआ था तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 स्व0 मोडू के विधिक वारिसान है तथा मोडु पुत्र कामड के समाज में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार छोगा की पगड़ी बांधी गई थी तथा स्व0 छोगा की सेवा चाकरी व भरण पोषण स्व0 मोडू ने ही की थी तथा स्व0 मोडू छोगा पुत्र काना का दत्तक पुत्र है । वादवर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में एकमात्र मोडू पुत्र कामड के नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु उपरांत राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हो चुकी है तथा रेस्पो0 संख्या 3 से 6 के द्वारा जरिये हकत्याग से अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग कर दिया था । इस प्रकार वादवर्णित आराजियात वर्तमान में एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है । वादीगण के पिता रामदेव पुत्र लाला कभी भी गैलड़ के रूप में छोगा की पत्नी के साथ नहीं आया था तथा न ही रामदेव पुत्र लाला, छोगा गैलड पुत्र था इस कारण विवादित आराजियात में रामदेव पुत्र लाला का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है एव ना ही हो सकता है । मात्र रामदेव पुत्र लाला ग्राम समेलिया में निवास करने के आधार पर ही वादीगण द्वारा बदनियतिपूर्वक छोगा का गैलड बताकर झूंठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है । यदि रामदेव पुत्र लाला स्व0 छोगा का गैलड पुत्र होता तो वह भूमि स्व0 मोडू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्यों क्रय करता । इससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा मात्र रामदेव पुत्र लाला के निधन के पश्चात् फर्जी तरीके से उसे गैलड पुत्र बताकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के पिता स्व मोडू के खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी वादीगण को पूर्व से ही थी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का

अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पिता व पति मोडू का नाम विलोपित कर स्वंय को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता संख्या नया–पुराना 132–108 किता 3 ख्रकबा 37–03–00 बीघा भूमि मोडू पुत्र कामड़ मुतबन्ना छोगा कौम बलाई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है । सवंत् 2044 से 2047 में छोगा पुत्र काना 1/2 हिस्सा व मोडू पुत्र कामड़ 1/2 हिस्सा दर्ज है । ग्राम पंचायत खीरिया द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 4.1.2014 से स्पष्ट होता है कि छोगा पुत्र काना कौम बलाई की मृत्यु दिनांक 20.1.1982 को हुई है । यह तथ्य भी अविवादित है कि छोगा पुत्र काना नाऔलाद फौत हुआ था । नामांतकरण संख्या 71 दिनांक 21.5.1990 सरपंच ग्राम पंचायत खीरिया द्वारा स्वीकार किया गया है ।ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार ज़िसका कोई वारिस नहीं है पर ग्राम वासियों से जलसे आम में जांच करने पर मालूम हुआ कि मोडू पुत्र कामड़ ही उसका वारिस है व उसी के छोगा की पगड़ी बंधी है । अतः सर्वसम्मति से खसरा नंबर किता 3 रकबा 35–02–00 बीघा का व खाता संख्या 81 का रकबा 16–11–00 बीघा का 1/4 हिस्सा का नामांतकरण मोडू पुत्र कामड़ मुतबन्ना छोगा के नाम स्वीकार किया गया है । वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त होना भी सिद्ध नहीं किया है । वादीगण/अपीलांटस ने वादपत्र के पैरा संख्या 4 में यह उल्लेख किया है कि मोडू कभी भी छोगा पुत्र काना के गोद नहीं गया है जबकि पैरा संख्या 7 में बताया कि छोगा की मृत्यु उपरांत मोडू ने 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से वादीगण के पिता को विक्रय कर दिया । इस प्रकार वादीगण एक और मोडू के नाम हुए इंद्राज को गलत मान रहे है वहीं दूसरी और उसी से जमीन क्रय कर रहे है । इस प्रकार वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथन परस्पर विरोधाभासी है । अधी0न्याया0 ने प्रत्येक तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण कर वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

# डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)**

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः– **श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.**

श्रीमती संतोक बैवा रामदेव,जाति बलाई,निवासी समेलिया,तहसील सरवाड़ जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

श्रीमती छोटी बैवा मोडू,जाति बलाई,निवासी समेलिया,तहसील सरवाड़ जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 28/2017 (2017/00028) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी,मुकाम सरवाड़ मुबर्खे 17 माह 01 सन् 2017, प्रकरण संख्या 03/2014,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88,188, व 92ए एवं 209 राज. काश्त. अधि.1955

यह अपील ब तारीख 29 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री शिशिर विजयवर्गीय वकील मिनजानिब अपीलांटस,व श्री शंकर लाल चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02, रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08 श्री विकास पाराशर(राजकीय अधिवक्ता), रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 3 से 06 अनुपस्थित। समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–**अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2017 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक———×———रूपये———×———अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का———×——— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 29 माह 07.सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

**खर्चा अपील**

| अपीलांट | रूपये | पैसे | रेस्पोडेन्ट | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अपील | – | | 1.स्टाम्प वकालतनामा | – | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | – | | 2.स्टाम्प अर्जी | – | |
| 3.इजराय हुक्मनामा | – | | 3.इजराय हुक्मनामा | – | |
| 4.वकील फीस बाबत् | – | | 4.महनताना वकील | – | |
| मीजान | – | | मीजान | – | |

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।